

विचार बिन्दु

नम्रता सारे सद्गुणों का दृढ़ स्तम्भ है। –कन्फ्युशुस

जयपुर शहर सवाया: क्या से क्या हो गया!

जयपुर शहर नहीं, महाराजा सवाई जयसिंह का सपना था जिसे विद्याधर ने ज़मीनी हकीकत में तब्दील किया। इस नगर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह नगर कभी अपनी योजनाबद्ध बसावट, इमारतों के गुलाबी रंग, चौड़ी सड़कों, सुंदर हवेलियां और शालीन जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। विदेशी पर्यटक इसे पिंक सिटी और भारतीय गर्व से भारत का पेरिस कहा करते थे। आज वही नगर गंदगी, अव्यवस्था, बेतरतीब कॉलोनियों और अनियंत्रित ट्रैफिक की भीड़ में कहीं हो गया है। जिस नगर की योजना 18वीं सदी में ऐसी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाई गई थी कि जिसे यूरोप के शहरी नियोजक भी मिसाल मानते थे, आज वह अपने ही प्रशासकों, योजनाकारोंऔर बासिंदों की लापरवाही, लालच और विफलता के कारण बेगूर हो रहा है। महाराजा सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर की नींव रखी, तब इतिहास के झंझावात के काल में भी इस नगर को विज्ञान, कला और अनुशासन का संगम बनाने की कोशिश की थी। वास्तुशास्त्र और खगोलशास्त्र के सिद्धांतों पर बसाया गया यह नगर भारत का पहला नियोजित शहर था। चौड़ी सड़कों, समकोणीय गलियों, संगमरमर के आंगन वाले मंदिरों, व्यवस्थित मोहल्लों और बाजारों ने इस शहर को एक अद्भुत पहचान दी। कभी जयपुर का हर चौक, हर रास्ता और हर दरवाज़ा एक अर्थ रखता था। शहर का जीवन अनुशासित था, और नागरिकों में स्वच्छता और सभ्यता की एक लय थी। लेकिन आज यह लय टूटी हुई है – शहर का सौंदर्य, उसकी आत्मा और उसकी पहचान राजनीति और प्रशासनिक छल–कपट की आंधी में खो गई है। कोई 48 साल पहले जन्ता पार्टी सरकार ने जबरदस्त धूम–धाम के साथ जयपुर के स्थापना दिवस की द्विशती मनाई थी। तभी से प्रति वर्ष इस दिन उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई जो अब भी जारी है। इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया और अब यह सालाना उत्सव भी रस्म अदायगी बन कर रह गया है। मगर नगर का स्थापना दिवस आता है तब इस नगर का इतिहास और वर्तमान एक साथ खड़े होकर सबसे सवाल करते हैं, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है।

जयपुर का निर्माण केवल इमारतों का नहीं, बल्कि एक सोच का परिणाम था। सवाई जयसिंह ने खगोलशास्त्रियों, वास्तुविदों और इंजीनियरों की सलाह लेकर एक ऐसी नगरी की कल्पना की थी, जहां हर सड़क, हर चौक और हर मोहल्ला एक गणितीय संतुलन का ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक हो। नौ खंडों में विभाजित नगर का ढांचा ब्रह्मांड के नवग्रहों की तरह योजनाबद्ध था, मानो धरती पर आकाश का प्रतिबिंब उतारा गया हो। वह जयपुर, जहां सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जिस पर गाड़ियां खींचने वाले चलते पशुओं की लौद तुरंत हटा लेने के लिए कर्मचारी लगे रहते थे, जहां जल निकासी की विशाल अनोखी व्यवस्था थी, जहां भवनों की ऊँचाई, रंग और स्वरूप एकरूप थे, वह नगर आज अपनी बढ़ी हुई आबादी में घुट रहा है। समय–समय पर सरकार द्वारा किए गए लीपा–पोती के फेसलिफ्ट प्रोजेक्ट केवल ऊपरी चमक प्रदान करते हैं, लेकिन भीतर की सड़न जस की तस बनी रहती है। अवैध निर्माण ऐतिहासिक इमारतों को निलग रहे हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का तमगा अब एक बोझ जैसा प्रतीत होता है। हवाजहल से बड़ी चौपड़ तक कहने को हेरिटेज ज़ोन बना दिया गया है जो जाम, तारों के जाल, अवैध टेलों और बेढंगी होईसिंग से पटा हुआ है। जयपुर आज ‘स्मार्ट सिटी’ कहलाने की दौड़ में तो शामिल है, पर वास्तविकता यह है कि शहर अनियंत्रित और बेतरतीब विस्तार का शिकार हो चुका है। जयपुर का फैलाव योजनाबद्ध नहीं, विस्फोटक रहा है। शहर के चारों ओर – जगतपुरा, वैशाली नगर, कालवाड रोड, अजमेर बाईपास, सांगानेर बाइपास – हर जगह कॉलोनियाँ पसर गई हैं, जिनमें न सड़कें ठीक हैं, न सीवरेज, न जल निकासी। यहां तक कि विशेष रूप से विकसित झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भी सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। भू–माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने इस शहर की मूल आयोजना को ही नष्ट कर दिया है। अदालतों के आदेशों की अनदेखी करते हुए विधि सम्मत नगर–नियोजन को दरकिनार करने में शासन

जयपुर को फिर से भारत का पेरिस बनाना असंभव नहीं है, पर इसके लिए कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जिम्मेदारी दोनों सिरे से नदारद है। जन प्रतिनिधियों को तय करना होगा कि जयपुर को स्मार्ट दिखाना भर है या वास्तव में उसे जीवंत, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। कहते हैं आशा अमर धन। आशा बनी हुई है। जरूरत है एक स्पष्ट दृष्टि की - एक ऐसी दृष्टि जो स्वार्थ नहीं, स्थायित्व देखे। कठोर शहरी अनुशासन हो, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर समझौता नहीं, सख्ती हो।

आरवली की पहाड़ियां जम कर कटी हैं। खनन माफियाओं ने नगर के पास की पहाड़ियों को प्रशासन की नाक के नीचे बुरी तरह छीला है। नाहरगढ़ और पलता के जंगल विनाश की पेंट चढ़ चुके हैं जहां अमीर लोग अपने आशियाने बना रहे हैं और आमसागर झील फिर से प्रदूषण की गिरफ्त में है।

जयपुर शहर अपनी विरासत से जितना दूर जा रहा है, उतना ही खोखला होता जा रहा है। पारंपरिक कारीगर और बुनकर धीरे–धीरे गायब हो रहे हैं। जयपुर की आत्मा – उसका धीमा, शालीन और कलात्मक चरित्र – अब शॉपिंग मॉल्स और बिल्डरों के शोर में खो गया है। किसे दोष दिया जाय? प्रशासन को दोष देना आसान है, पर अधूरा है। अव्यवस्था में नागरिकों की लापरवाही भी उत्तनी ही जिम्मेदार है। जयपुर की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि यहां के नागरिक भी हैं उतने ही हैं जो चाहते हैं उनका काम कोई और करे। सड़कों पर फैला कचरा, प्लास्टिक की थैलियां, अवैध पार्किंग, फुटपाथों पर दुकानें – ये सब जनता की ही दैन हैं। सड़कों पर कचरा फैकना, यातायात नियम तोड़ना, अवैध निर्माण कच्चावा, और हर सरकारी योजना में अपने स्वार्थ ढूंढना आम बात हो गई है। जब जनता ही लापरवाह हो जाए, तो कोई भी शहर अपनी आत्मा कैसे बचा सकता है। यह विडंबना है कि जिस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया, उसके स्थानीय लोग उसकी धरोहरों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हवामहल, आमेर, जंतर–मंतर – ये सब अब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट रह गए हैं, भावनाओं का हिस्सा नहीं। लेकिन प्रशासन को केवल इस स्थिति को और भी भयावह बना देती है। योजनाएं बनती हैं, बजट पास होता है, उद्घाटन होते हैं, पर ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता। जवाबदेही शून्य है, और विकास केवल पोस्टर पर दिखता है। जयपुर का ट्रैफिक आज किसी बुरे सपने से कम नहीं। शहर के प्रमुख मार्ग – जेएलएन मार्ग, टॉक रोड, अजमेर रोड, सिरीसी रोड – हर दिन जाम से जूझते हैं। प्रत्येक ट्राफिक सिग्नल से गुजरने में तीन–तीन बार तक ट्राफिक लाइट के बदलने को झेलना पड़ता है। फुटपाथ पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, और वाहनों की अनियंत्रित बाढ़तारी ने शहर को एक बड़ा गैरज बना दिया है। कॉलोनि्यों में सड़क के दोनों ओर घरों के बाहर चार पहिया वाहनों की पार्किंग के चलते बीच में इतनी ही जगह बचती है कि केवल एक गाड़ी निकाल सके। दिल्ली और मुंबई के बाद जयपुर का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है। धूल, धुआं और शोर अब इस शहर के स्थायी साथी बन चुके हैं। जिस शहर की पहचान कभी स्वच्छ और हवादार के रूप में थी, वह अब साँस लेने लायक भी नहीं रह गया है। जयपुर की असली पहचान उसकी संस्कृति थी – संगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक वास्तुकला, और लोक जीवन। लेकिन आज यह संस्कृति इतिहास बन चुकी है। केवल कुलीनों के मनोरंजन के लिए आरआईसी, जेकेके या विलासिता वाले बड़े होटलों में बाजार की ताकतें भोंडे तरीके से इन्हें प्रस्तुत कर रही हैं।

जयपुर को फिर से भारत का पेरिस बनाना असंभव नहीं है, पर इसके लिए कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जिम्मेदारी दोनों सिरे से नदारद है। जन प्रतिनिधियों को तय करना होगा कि जयपुर को स्मार्ट दिखाना भर है या वास्तव में उसे जीवंत, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। कहते हैं आशा अमर धना आशा बनी हुई है। जरूरत है एक स्पष्ट दृष्टि की – एक ऐसी दृष्टि जो स्वार्थ नहीं, स्थायित्व देखे। कठोर शहरी अनुशासन हो, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर समझौता नहीं, सख्ती हो। विरासत संरक्षण को केवल रंगाई–पुताई तक सीमित न रहे, जल निकासी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए। यातायात सुधार के लिए मेट्रो, बस, साइकिल और पैदल मार्गों का एकीकृत तंत्र विकसित करना होगा। कचरा प्रबंधन में जनता की भागीदारी हो। और सबसे जरूरी है – नागरिक जागरूकता। जब तक जयपुर का हर निवासी अपने शहर को अपना परिवार नहीं मानेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए जयपुर का स्थापना दिवस उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए। जयपुर को फिर गुलाबी नगर के रूप में स्थापित करना है – रंग से नहीं, सोच से। यह तभी संभव है जब सरकार सजावटी प्रचार के बजाय सुधार पर ध्यान दे, और नागरिक शिक्षावत के बजाय सहभागिता को अपनाए। सभी मन से यह करें तब यह शहर फिर से वह बन सकेगा, जिसकी दुनिया दीवानी थी।

–अतिथि संपादक,

राजेन्द्र बोड़ा

(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



सूर्यप्रताप सिंह राजावत

संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता के बारे में कहा था कि किसी भी देश के नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है। वास्तव में, संवैधानिक नैतिकता मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत से कहीं अधिक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित किया जा सकता है। दूसरी और संवैधानिक नैतिकता संविधान में आस्था को समाहित करती

है। संवैधानिक नैतिकता का एक अन्य पहलू विधि के शासन के प्रति सम्मान है। भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों जैसे विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में विधि के शासन के प्रति सम्मान परिलक्षित होता है।

इस पृष्ठभूमि में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत के नागरिक को राष्ट्रगान– जन गण मन गाने में गर्व महसूस होता है। भारत के संविधान के भाग –क में मौलिक कर्तव्यों की भावना को कायम रखते हुए, अनुच्छेद 51 ए (ए) में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना बताया गया है।

भारत का नागरिक कानून का पालन करने वाली नागरिकता का अनुभव करता है क्योंकि राष्ट्रगान के गायन का सम्मान करने को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। धारा 3 में तीन साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

दुबारा अपमान करते पाए जाने पर पर कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान है। अपराध संज्ञेय होने के कारण, राष्ट्रगान के अपमान के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

लेकिन जब बात राष्ट्रीत – वंदे मातरम के गायन की आती है तो भारत के नागरिकों के एक वर्ग को, आजादी के सात दशक बाद भी, राष्ट्रीत गाने के लिए पर्याप्त साहस जुटाना पड़ता है। वह राष्ट्रीत के गायन पर संवैधानिक नैतिकता की मुहर लगाने में विफल रहता है। आज भारत के विद्यमान कानून के अनुसार, राष्ट्रीत को राष्ट्रगान के बराबर स्थान और सम्मान न तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में और न ही केंद्रीय अधिनियम 1971 में दिया गया है। अधिनियम 1971 का शीर्षक स्वयं स्पष्ट है। यह बताता है कि यह राष्ट्रीय सम्मान की संस्थाओं के सम्मान को बनाए रखने का इरादा रखता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रगान का उल्लेख करता है, लेकिन अधिनियम में राष्ट्रगीत का उल्लेख करने में विफल रहता है। भारत के कानूनों में ऐसी व्यवस्था संविधान सभा के प्रस्ताव

के विरुद्ध है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ। राजेंद्रप्रसाद ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया, जिसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रीत पर अंतिम निर्णय के रूप में भी अपनाया गया:– ...शब्दों और संगीत से बनी रचना जिसे जन गण के नाम से जाना जाता है भारत का राष्ट्रगान जनगनमन है, जिसमें आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, तथा वन्दे मातरम् गीत भी भारत का राष्ट्रगान है। मातरम्, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण के समान सम्मान दिया जाएगा। मन और उसके साथ समान दर्जा होगा।अत: 1976 में बयालीसवें संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51क (क) में राष्ट्रीत के बिना अधूरे

है। अब समय आ गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीत को शामिल किया जाए। साथ ही, 1971 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके राष्ट्रीत के सम्मान को बनाए रखने के लिए वैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया जाए। राष्ट्रीत के गायन के बारे में सही धारणा बनाने की सख़्त

जरूरत है। ऐसे उपाय हमारे राष्ट्रीय गीत – वंदे मातरम् – की वैधता, संवैधानिकता और कानूनी स्वीकारिता पर मुहर लगाएँ।

मौलिक कर्तव्यों और अधिनियम 1971 में राष्ट्रीत को शामिल करने से देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के तरीकों में से एक हो सकता है। यह पूरे देश में, वर्तमान पीढ़ी में, विशेषकर युवाओं में, राष्ट्रवाद का संदेश देगा। यह भारत के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कसौटी का काम करेगा कि राष्ट्रीत के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीति से ऊपर हैं। राष्ट्रीत को राष्ट्रगान के समान उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए, जैसा कि संविधान सभा ने तय किया था। यह भारत के राष्ट्रीय गीत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो बलिदान, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है।

–सूर्यप्रताप सिंह राजावत,

अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय

ओलिगार्क: वैश्विक सत्ता पर धनी उद्यमियों के नियंत्रण की छाया



सुरेंद्रसिंह शेखावत

समकालीन विश्व के पूंजीवादी अर्थतंत्र ने पूंजी का केंद्रीयकरण तेज कर दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी एक पिरामिड की तरह कुछेक हाथों में सिमटती जाती है। ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क, जैफ बेजॉस, मार्क जुकरबर्ग, जेनसन हुआंग और बर्नार्ड ऑर्नोल्ड अगले दशक में ये पाँच नए ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। जिसमें धन की ताकत इन्हें सरकारों से ऊपर कर देगी। इन पर नियंत्रण मुश्किल होगा। इन धनिक लोगों की संभावित ताकत और महत्वकांक्षा ने वैश्विक विमर्श को झकझोर दिया है। यह चेतावनी कोई साधारण आर्थिक पूर्वानुमान नहीं; यह उस भविष्य की झलक है जहाँ अर्द्धक बन कुछ व्यक्तियों को राष्ट्र–राज्यों से ऊपर उठा देगा। विशेष रूप से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और उसकी सहयोगी स्टारलिनक पर निर्भरता इस खतरे का जीवंत उदाहरण बन रही है। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अंतरिक्ष–आधारित संचार और अर्थव्यवस्था कुछ मुद्दे भर उद्यमियों के हाथों में सिमट आसगी।

धन की असमानता और ट्रिलियनेयर युग की दहलीज विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्टें

स्टारलिनक–स्पेसएक्स का उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क–वर्तमान में 6750 से अधिक उपग्रहों के साथ पृथ्वी को परिक्रमा कर रहा है। वर्ष 2022 से व्यावसायिक सेवाएँ शुरू होने के बाद यह यूक्रेन युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार का बैकबोन बन चुका है। लेकिन यही निर्भरता खतरे की जड़ है। यदि मस्क कल निर्णय लें कि किसी देश को सेवा बंद करनी है, तो उसके नतीजे किनसे खतरनाक होंगे? यूक्रेन में रूसी आक्रमण के दौरान स्टारलिनक ने जीवनरेखा प्रदान की, किंतु मस्क ने स्वयं टवीट कर कहा था कि वे लागत वहन नहीं कर सकते। अंततः अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। यह घटना दर्शाती है कि निजी हाथों में सार्वजनिक उपयोगिता का नियंत्रण कितना जोखिमपूर्ण है।

अंतरिक्ष में निजी एकाधिकार: लोकतंत्र पर खतरा

अंतरिक्ष संधि 1967 के तहत कोई देश अंतरिक्ष पर संप्रभुता स्थापित नहीं कर सकता, किंतु निजी कंपनियाँ उपग्रह प्रक्षेपण, डेटा संग्रह और संचार में वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। स्पेसएक्स ने 2024 तक 44 फीसदी वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण किए। फाल्कन–9 रॉकेट की पुनर्प्रयोगिता ने लागत को

90 फीसदी तक कम कर दिया, जिससे प्रतिस्पर्धा लाभग असंभव हो गई। चीन की केसिक और यूरोपीय एरियनस्पेस भी पीछे छूट रहे हैं।

यह एकाधिकार केवल तकनीकी नहीं है, यह भू–राजनीतिक भी है। स्टारलिनक की 250 मिलियन डॉलर की मासिक लागत मस्क को सरकारी अनुबंधों पर निर्भर बनाती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का स्टारशिल्ड प्रोजेक्ट स्पेसएक्स को सैन्य उपग्रह सेवाएँ प्रदान करने का ठेका देता है। क्या यह निजी कंपनी अब अमेरिकी विदेश नीति का विस्तार बन गई है? यदि मस्क और अमेरिकी सरकार में मतभेद हुआ तो वैश्विक संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह गंभीर विषय है।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह खतरा दोगुना है। हमारी डिजिटल इंडिया पहल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टारलिनक एकमात्र विकल्प बन सकता है, किंतु इसके लिए ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलोजी को मस्क की शर्तें माननी पड़ेंगी। इस तरह हम अपनी संप्रभुता को निजी उपग्रह नक्षत्र के हाथों सौंप रहे हैं।

नियंत्रण की चुनौतियाँ: कानूनी शून्यता

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रिलियनेयर्स पर नियंत्रण असंभव नहीं, किंतु वर्तमान ढाँचे अपर्याप्त हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, किंतु निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धियों पर उसका सीमित नियंत्रण है। अमेरिका का एफसीसी स्टारलिनक को लाइसेंस देता है, किंतु मस्क की कंपनियाँ टैक्स सेविंग हैवन डेलावेयर में पंजीकृत हैं। यूरोपीय संघ जीडीपीआर जैसे डेटा कानून लागू करना चाहता है, किंतु

स्टारलिनक उपग्रह पृथ्वी से 550 किमी ऊपर, किसी देश की सीमा में नहीं है। यदि मस्क डेटा साझा करने से इंकार करें, तो उन पर नियंत्रण का कोई प्रभावी कानून नहीं है। 2023 में ब्राजील सरकार ने स्टारलिनक को अवैध खनन क्षेत्रों में सेवा बंद करने को कहा तो मस्क ने चुनौती दी। यह घटना दर्शाती है कि धन की ताकत कितनी आसानी से कानून को चुनौती दे सकती है।

नैतिक और सामाजिक आयाम

धन की यह संद्रता सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि विश्व की एक फीसदी से भी कम आबादी 45 फीसदी संपत्ति रखती है। अंतरिक्ष में यह असमानता और गहरी होगी। स्टारलिनक की सेवा बहुत महँगी है, गतिवद् इससे वहन नहीं कर पाएँगे, जिससे डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा।

साथ ही, पर्यावरणीय खतरे हैं। 6 हजार से ज्यादा उपग्रहों से अंतरिक्ष कक्षा में कचरा बढ़ रहा है। केस्लर सिंड्रोम जिसमें टकराव से उपग्रह श्रृंखला नष्ट होने की भी आशंका है। मस्क की मेगा–कॉन्स्टेलेशन योजना 42 हजार उपग्रहों की है। क्या यह पृथ्वी के लिए संभावित गम्भीर खतरा नहीं है?

वैश्विक शासन का पुनर्परिभाषण

इस चुनौती का समाधान केवल राष्ट्रीय नहीं; वैश्विक है। संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष शासन के लिए नया ढाँचा बनाना होगा। ट्रिलियनेयर्स पर वैश्विक संपत्ति कर लागूकर अंतरिक्ष सफाई और विकासशील देशों के लिए ब्रॉडबैंड जैसे खर्च किए जा सकते हैं। इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन, फैडरल कम्युनिकेशन कमीशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

सेकंड एंटी को स्थगित कर दिया गया है। नया यार्ड बनने के बाद ही नए सिर से सेकंड एंटी की लोकेशन तय होगी। पूर्व जेडआरयूसीसी सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि रेलवे बोर्ड को श्रीगंगानगर में अतिरिक्त रेलवे यार्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही श्रीगंगानगर की रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये शहरवासियों के लिए सबसे बड़ी सीमांत होगी। वहीं, सुर्जों के अनुसार 2026 तक वंदे भारत की सिटी श्रीगंगानगर में बज सकती है।

दिन-रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर

श्रीगंगानगर, (निर्सं।)नवंबर के महीने में बार–बार मौसम बदल रहा है। दिन में तेज धूप तो रात में ठंड होती है। जिले में मंगलवार को बादलों की आंख मिचौली का खेल जारी है। कभी बादल छा जाते हैं, तो कभी आसमान साफ हो जाता है। जिले में पिछले 3 हफ्तों से दिन का पाग 29 से 31 डिग्री के बीच बना हुआ है। मंगलवार सुबह कृषि अनुसंधान केंद्र, श्रीगंगानगर पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 29.9 डिग्रीरिपोर्ट किया गया। सोमवार को भी न्यूनतम तापमान ठीक 11 डिग्री ही रहा था, जबकि दिन का पाग 31 डिग्री तक चढ़ गया। विचार को तो दिन में 30.5 डिग्री गर्मी के बाद रात 10.7 डिग्री तक लुढ़क गया। मतलब दिन में पसीना और रात में कंबल ओढ़ने की नींबट आ रही है। किसानों के अनुसार दिन में तेज धूप के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है।